




556



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-मंदसौर

नगरानी-3506/2018/मंदसौर/भू.श

सामन्तलाल पुत्र श्री कचरूलाल चमार
निवासी- सेमलीकांकड तहसील सुवासरा जिला
मंदसौर (म.प्र.)

--- आवेदक

विरुद्ध

श्री. च. म. च. व. 8. धि
द्वारा आज दि. 5-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक कार्य हेतु
दिनांक 06-6-18 मिसल।

कलक. ऑफ. कोर्ड 5-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1 मैसर्स एवेंजर्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशुतोष नारायण पिता विध्यासागर चौरसिया निवासी - संतकबीर नगर सिटीकर उ.प्र. कृषक सेमलीकांकड तहसील सुवासरा जिला - मंदसौर म.प्र.
- 2 कारूलाल पुत्र श्री मांगु चमार
- 3 रतनलाल पुत्र श्री मांगु चमार
- 4 चंदरलाल पुत्र श्री मांगु चमार
- 5 पूरा पुत्र श्री किशन जी चमार
- 6 कमलाबाई बेवा कचरूलाल
- 7 रामगोपाल पुत्र कचरूलाल
- 8 विनोद पुत्र कचरूलाल
- 9 रामनिवास पुत्र कचरूलाल
- 10 सालगराम पुत्र श्री भेरु जी
- 11 किशन पुत्र श्री भेरु जी
- 12 बगदीराम पुत्र श्री पन्ना जी
- 13 कैलाश नाथ पुत्र श्री मन्ना नाथ
- 14 पीरुसिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत
- 15 दरवार सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत
- 16 मेहरवान सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत
निवासीगण-सेमलीकांकड तहसील सुवासरा
जिला - मंदसौर (म.प्र.)

--- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार सुवासरा जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-


मामले के संक्षिप्त तथ्य :

20-6-18
Dehat di
05/06/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3525/2018/मन्दसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-12-18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	